महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार कार के चालक ने बाइक में सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक समेत गिर गए। हादसा से पति-पत्नी को गंभीर चोट आई। पुलिस ने घायलों को सिम्स लेकर पहुंचे। वहां डाक्टर ने जांच करने के बाद पत्नी को मृत घोषित कर दिया। घायल पति का इलाज चल रहा है। हिर्री पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बेमेतरा जिला के नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम मकुरा के रहने वाले ओमकार सोनी अपनी पत्नी शीतला सोनी के साथ बीते 10 मई को बाइक से समान खरीदने बिलासपुर आए थे। खरीदारी करने के बाद रात को दोनों घर लौट रहे थे। रात 10.30 बजे वे बिल्हा मोड़ के पास पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से ओमप्रकाश और उनकी पत्नी शीतला के सिर पर गंभीर चोट आई थी। 108 एंबुलेंस से घायलों को सिम्स लाया गया। यहां डाक्टर ने जांच करने के बाद शीतला को मृत घोषित कर दिया। घायल ओमप्रकाश का इलाज चल रहा है।

ग्रामीणों ने अंकों में हेरफेर कर आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का लगाया आरोप

कांकेर (आरएनएस)। जिले के ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा के ग्रामीणों ने अंतागढ़ एसडीएम को किये गये शिकायत में उन्होंने कहा कि ग्राम के अचलापारा में सहायिका की भर्ती में गड़बड़ी की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पक्षपात करते हुए कम अंक पाने वाली महिला की भर्ती कर दी गई है। विभाग जिसे कक्षा 08वीं में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना बताकर नौकरी देना बता रहा है, उसे वास्तव में 52 फीसदी अंक मिला है। ग्रामीणों ने बताया महिला बाल विकास विभाग आचलापारा द्वारा अंतागढ़ आंगनबाड़ी हेतु सहायिका के रिक्त पद की भर्ती के लिए सितंबर 2021 को आवेदन मंगाया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 01 महीने तक दावा आपत्ति के लिए, सूचना नहीं निकाली गई। आवेदक दावा आपत्ति के लिए चक्कर लगाते रहे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई और 07 महीने बाद चुपचाप से एक महिला की नियुक्ति कर दी गई। इसके बाद अन्य आवेदकों इसकी जानकारी लेने पंचायत सचिव से संपर्क किया, तो सचिव से इस संबंध में दावा आपत्ति व नियुक्ति होने की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद महिला बाल विकास से संपर्क किया गया। विभाग ने पूरा दस्तावेज दिखाया, दस्तावेज में सत्यवती यादव को 75 फीसदी अंक पाना पाया गया। ग्रामीणों को शक हुआ और इसकी जांच की मांग परियोजना अधिकारी से गई है।

सहेली का बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रही युवती को बदमाशों ने मारी गोली, गम्भीर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बीती रात गोलीकांड की वारदात हुई है। इस बार बदमाशों ने युवती पर गोली चलाई है। बताया जा रहा है कि सहेली का जन्मदिन मनाकर लौट रही एक युवती को अज्ञात युवकों ने पहले छेड़खानी की। इसके बाद उसे जान से मारने गोली चला दी। वारदात में युवती को हाथ में गोली लगी है। उसे देर रात इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर युवती को गोली मारने की सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच की। वहीं अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि महावीर नगर निवासी कृतिका इसरानी अपनी सहेली पूजा का जन्मदिन मनाने के लिए वीआईपी रोड स्थित होटल फिल इन द ब्लैंक पहुंची थी। बर्थडे मनाने के बाद कृतिका, पूजा और उसकी एक सहेली फरीन होटल के बाहर बात कर रहे थे कि उसी समय तीन अज्ञात लोग पहुंचे और उन्होंने कृतिका का मोबाइल लूटने की कोशिश की। इस बीच दो युवकों ने गोली चला दी। गोली चलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। गोली कृतिका के दाहिने हाथ की छोटी उंगली को भेदकर निकल गई। उसके बाएं हाथ की बांह में भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री की पहल पर नामांतरण प्रक्रिया को बनाया गया सरल एवं समयबद्ध

- राज्य सरकार का आम जनता के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम
- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों में किया गया संशोधन
- आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर पटवारी पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे
- हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी भेजी जाएगी
- तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचना जारी करने तथा दावा-आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी निर्धारित की गई समय-सीमा
- अविवादित नामांतरण के प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान होंगे लागू
- नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन: लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। संशोधन के अनुसार अब नामांतरण का आवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर पटवारी जांच प्रतिवेदन संलग्न कर ई-नामांतरण पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वतः अग्रेषित हो जाएगा। हितग्राहियों को नामांतरण प्रक्रिया के दौरान एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचना जारी करने तथा दावा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार अविवादित नामांतरण के प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं होने पर संबंधितों के

विरुद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुसार, नियमों में भूमि स्वामी को पंजीयन के समय ही नामांतरण के विषय में ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय का विकल्प दिया गया है। भूमि स्वामियों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर सूचना भी प्रदान किया जाएगा। पंजीयन के तत्काल बाद, इसकी सूचना तत्क्षण संबंधित हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की ऑनलाइन आईडी में भेज दिया जाएगा। इस सूचना पर पटवारी के द्वारा सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन संलग्न कर इसे अग्रेषित किया जाएगा। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वत: अग्रेषित भी हो सकेगा। तहसीलदार द्वारा आम सूचना हेतु इश्तहार प्रकाशित किया जाएगा, जिससे 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तत्पश्चात आदेश पारित किया जाएगा, जिसके पालन में बी-वन, खसरा, नक्शा एवं किसान किताब को अद्यतन करके सत्यापित किया जाएगा। इसकी सूचना भी हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रावधानित समय सीमा से बाहर होने पर, उक्त प्रकरण की सूचना हितग्राही को और पीठासीन अधिकारी को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इस विषय में राज्य सरकार ने सभी संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर को आवश्यक निर्देश भी प्रसारित किए हैं।

नामांतरण के प्रकरणों की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाएगी। राजस्व पखवाड़ा का आयोजन कर के हितग्राहियों को अद्यतन अभिलेख की प्रति प्रदान की जा सकेगी। गिरदावरी के समय राजस्व अभिलेख को ग्राम वार पढ़कर सुनाया भी जाएगा। नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध करने की दिशा में राज्य शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत भूमि स्वामियों को अपनी भूमि का खरीद बिक्री आदि के माध्यम से अंतरण करने का अधिकार है। संयुक्त परिवार के विभाजन के फल स्वरुप भी स्वामित्व में परिवर्तन होता है। भूमि स्वामी द्वारा भविष्य में होने वाले पारिवारिक विवाद के निराकरण हेतु भी अपने जीवन काल में ही बटवारा भी किया जाता है। भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर भी अभिलेख में सुधार की जरूरत होती है। इन समस्त परिस्थितियों में भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करना आवश्यक होता है। राज्य की इस जिम्मेदारी के प्रति राजस्व विभाग संवेदनशील है, यद्यपि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के कुछ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, किंतु इसके बावजूद भूमि स्वामियों के भूमि अंतरण संबंधित सेवाओं में समय सीमा के भीतर कई बार कार्यवाही नहीं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए नामांतरण के नियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

निगम क्षेत्र के साप्ताहिक आम बाजारों के खुलने के दिन निर्धारित

- मंगलवार को निगम क्षेत्र की सभी स्थाई एवं अस्थाई दुकान साप्ताहिक आम बाजार एवं हटरी बंद रखी जाएगी

कोरबा। निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय द्वारा आदेश जारी कर निगम क्षेत्र में स्थित साप्ताहिक आम बाजारों व हटरी आदि के खुलने के दिन निर्धारित कर दिए गए हैं, जबकि निगम क्षेत्र की सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों के साथ-साथ साप्ताहिक आम बाजारों एवं हटरी भी मंगलवार को बंद रखी जाएगी।

यहॉं उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के आदेश के तहत निकाय क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार स्थाई एवं अस्थाई दुकानें पूर्व की भांति साप्ताहिक अवकाश के रूप में मंगलवार को बंद रखने के आदेश प्रभावशील हैं, जिसके तहत निगम क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें मंगलवार को बंद रखी जा रही हैं। निगम क्षेत्र के साप्ताहिक आम बाजार एवं हटरी भी मंगलवार को अब बंद रहेगी, वहीं साप्ताहिक आम बाजार एवं हटरी खोलने के दिन निर्धारित किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार मुड़ापार आम बाजार सोमवार एवं शनिवार को लगेगा, बालको परसांभाठा आम बाजार शुक्रवार को खुलेगा, जबकि बालको हटरी मंगलवार को छोड़कर सभी दिन खुली रहेगी। इसी प्रकार बुधवारी आम बाजार बुधवार को लगेगा, जबकि वहाँ पर स्थित महिला समृद्धि दुकानें मंगलवार को छोड़कर सभी दिन खुलेंगी। कोरबा इतवारी आम बाजार रविवार, गुरुवार को संचालित होगा, वहीं रोजिना हटरी रविवार, गुरूवार एवं मंगलवार छोड़कर सभी दिन खुली रहेंगी। बांकीमोंगरा आम बाजार सोमवार को खुलेगा, वहीं बांकीमोंगरा हटरी मंगलवार को छोड़कर सभी दिन खुली रहेगी। जमनीपाली आम बाजार शनिवार को खुलेगा, भैरोताल आम बाजार शनिवार को खुलेगा, कुसमुण्डा आम बाजार शुक्रवार को खुलेगा, जेल बस्ती आम बाजार सोमवार व गुरूवार को खुला रहेगा, दर्री आम बाजार रविवार को खोला जाएगा, जबकि वहाँ की हटरी मंगलवार को छोड़कर सभी दिन खुली रहेगी। घुड़देवा आम बाजार बुधवार को, बलगी आम बाजार गुरूवार को, मानिकपुर आम बाजार शुक्रवार को, गेवरा बस्ती आम बाजार गुरूवार को, चुनचुनी आम बाजार बुधवार को, मनगांव आम बाजार रविवार को एवं नरईबोध आम बाजार सोमवार को खोले जाएंगे। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने उक्ताशय के आदेश जारी करते हुए इन आम बाजारों एवं हटरी का संचालन पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकाल के अनुसार संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

जिला बदर तौकीर अहमद के विरुद्ध रासुका के तहत दर्ज हुआ एफआईआर

कोरबा। एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया आरोपी तौकीर अहमद खान जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए लुक छिपकर अपने घर में ही रह रहा था। वहीं इस दौरान उस पर 11 मई को रिस्दी निवासी धनंजय साहू को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की है।

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन के मामले को भी एसपी भोजराम पटेल ने गंभीरता से लिया है और आरोपी तौकीर अहमद खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 रासुका के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जिला दंडाधिकारी कोरबा ने रिस्दी चौक निवासी तौकीर अहमद खान के खिलाफ 1 सितंबर 2021 को कोरबा सहित सीमावर्ती अन्य जिलों से 1 वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी कर दिया। इसके बावजूद तौकीर अहमद खान कोरबा में ही रह रहा था।

राख से परेशान ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला

कोरबा। राख उड़ने से हो रही परेशानी और बुनियादी समस्या को लेकर गोढ़ी, पंडरीपानी के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। वे समस्या हल करने की मांग कर रहे है। निराकरण होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इन दोनों गाँव के पास बिजली कंपनी ने राखड़ बांध बनाया है। कंपनी ने गांव में सुविधा देने की बात कही थी पर अब हालात बदतर है। धरना कर रहे लोगों ने बताया कि राखड़ के चलते सामाजिक परेशानी भी हो रही है।

जानकारी के अनुसार कुछ लोग धरना दे रहे थे तो कुछ लोग इस हड़ताल से बाहर थे। एक तरफ से ये बिजली कंपनी को सहयोग कर रहे थे। इसी बात को लेकर धमकी चमकी भी शुरू हो गई। गांव में धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर बिजली कंपनी और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। बिजली कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कुछ समस्याओं को लेकर जानकारी मिली हैं। इस बारे में हम आगे समाधान करने के लिए बैठक करेंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि हर बार आश्वासन जरूर मिलता है लेकिन काम नहीं होता। उन्होंने बताया कि हम नतीजे लेकर ही मानेंगे।

जनपद अध्यक्ष के पति रोजगार सहायक को सीईओ का नोटिस

कोरबा। कोरबा जिले के करतला जनपद पंचायत अध्यक्ष पति को फर्जी बिल वाउचर से लाखों रुपये आहरण किये जाने के मामले में जिला सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा है।

बता दें कि कोरबा जिले के करतला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत साजापानी में रोजगार सहायक ने तत्कालीन सरपंच सचिव के द्वारा लाखों रुपये का घोटाला करने की शिकायत अधिवक्ता शिव चौहान ने जिला प्रशासन से की थी। शिकायत पर उच्चाधिकारियों द्वारा जाँचदल गठित की गई जांचदल

द्वारा शिकायत के सभी पहलुओं पर जांच की गई तो शिकायत सही पाया गया। जिसके बाद 9 मई को जनपद पंचायत करतला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक को अग्रिम कार्यवाई के लिए पत्र लिखा है। इसके बाद 11 मई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें यह उल्लेख है कि जांचकर्ता अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जय हनुमान ट्रेडर्स के नाम से फर्जी बिल का उपयोग किए जाने के कारण रूपये 175000 का भुगतान किया गया है। उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, क्यों ना आपके वृद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं तीन दिवस में स्पस्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषप्रद नही होने पर एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति रोजगार सहायक लखन के द्वारा साजापानी पंचायत में किये गए फर्जी बिल वाउचर से लाखों रुपए के भुगतान का खेल तो जांच में सही पाया गया है। बताया जा रहा है कि साजापानी के कार्यकाल के दौरान पठियापाली में भी रोजगार सहायक का दायित्व निभा रहा था वहीं इसके द्वारा आसपास के अन्य ग्रामपंचायतों में भी हेराफेरी किये जाने की बात कही जा रही है जिसकी जांच कराई जाए तो और भी मामले सामने आ सकते हैं।

शहीद शत्रुघन के परिजनों को सौपा पीएमओ का स्मृति चिन्ह

कोरबा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के वीर अमर शहीदों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्मृति चिन्ह शहीदों के परिजनों को भेंट किया जा रहा है।

एवं शहीद के परिजन उपस्थित रहे। शहीद सावर शत्रुघन प्रसाद को इस मौके पर याद कर उनके अमर गाथा को सुनाया गया। युवाओं को एकता और अनुशासन से देशभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने प्रेरित किया

इस कड़ी में कोरबा जिले के ग्राम मुनगाडीह थाना पाली क्षेत्र के निवासी एवं अमर शहीद सावर शत्रुघन प्रसाद डिक्सेना के लिए प्रदत्त स्मृति चिन्ह उनके परिजन नरेश डिक्सेना को सम्मान प्रदान किया गया। 12 मई को ग्राम मुनगाडीह में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास, विशिष्ट सेवा मंडल के निर्देशानुसार प्रथम छग बटालियन एनसीसी कोरबा के कमांड अधिकारी कर्नल आर सेनगुप्ता के दिशा-निर्देश में यह स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर ग्राम सरपंच रामनंद उइके, उप सरपंच निर्मल डिक्सेना, पंच गया। कार्यक्रम में पाली थाना के एएसआई विमलेश भगत, बटालियन एनसीसी के सुबेदार मेजर जितेन्द्र सिंह सिकरवार, सरदार सहिबान व जवान एवं एनसीसी कैडेट भी उपस्थित रहे।

देशी शराब दुकान में चोरों ने किया धावा, दो लाख नगद सहित शराब पार

कोरबा। अपराध नियंत्रण पर काम हो रहा है और अराजक तत्व अपने काम में पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। कटघोरा में आबकारी विभाग के नियंत्रण में चल रही देशी शराब दुकान को चोरों ने निशाने पर लिया। यहां से सवा दो लाख नगद और शराब पार कर दी गई। पुलिस ने क्राईम ब्रांच और डाग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी है। कटघोरा पुलिस ने प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी की सूचना पर चोरी का मामला दर्ज किया है।

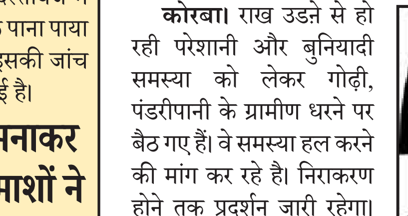

नगर पालिका क्षेत्र कटघोरा में बिलासपुर मार्ग पर वार्ड तीन में देशी. विदेशी शराब दुकान संचालित की जा रही है। दूसरे इलाकों की तुलना में यहां शराब की बिक्री कम है। गुरूवार को यहां सुबह 9.00 बजे से रात 10 बजे तक व्यवसाय हुआ। इसके बाद कर्मचारी ताला बंद कर अपने ठिकाने चले गए। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर एक सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर था। खबर के अनुसार रात को चोरों ने यहां पहुंचकर धावा बोला। इसके साथ अपनी हरकतों को अंजाम देते हुए नगदी और शराब पार कर दी गई। जिस अंदाज में यह सब हुआ उससे ऐसा लगता है कि घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी पर्याप्त संख्या में थे। आज सुबह शराब दुकान के गार्ड को जानकारी हुई तो उसने सुपरवाईजर और सेल्समेन को सूचित किया। कुछ देर बाद संबंधित कर्मी यहां पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ पाया। दुकान के अंदर सभी सामान अस्तव्यस्त था। शुरूआती पड़ताल में पाया गया कि रात्रि को उस स्थान में रखी गई 2.16 लाख रूपए की रकम नदारत है। इसके अलावा काफी मात्रा में शराब भी पार कर दी गई। अधिकारियों को जानकारी देने के बाद कटघोरा पुलिस को अवगत कराया गया। नगर निरीक्षक नवीन देवांगन ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कोरबा से क्राईम ब्रांच की टीम और डाग स्क्वाड ने भी यहां पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस आधार पर तथ्यों के पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त जेआर पैकरा ने बताया कि शराब दुकान में चोरी के बारे में अब जाकर खबर मिली है। सामान्य तौर पर कार्यदिवस की समाप्ति के बाद नगदी रकम दुकान में नहीं रखने का नियम है। इसके लिए व्यवस्था बनायी गई है। कटघोरा की दुकान में नगदी रकम आखिर क्यों रखी गई थी, यह समझ से परे है। इस बारे में पूछताछ की जाएगी। आशांका जतायी जा रही है कि इस घटना में जरूरतमंदों की भूमिका हो सकती है। नगदी के साथ बड़ी मात्रा में शराब की चोरी करने को लेकर माना जा रहा है कि शराब के शौकिनों ने मौका पाकर यह सब किया होगा। महंगाई के दौर में शराब की कीमतों पर असर पड़ा है। ऐसे में संबंधित तत्व नगदी का उपयोग करने के साथ शराब से अपना शौक पूरा कर सकते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं. 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री ...
आवश्यकता ...
उद्देश्य एवं नियुक्तियां ...
मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। ...
पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार हित एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु ...
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
Address: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU